



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



तृतीय एवं चतुर्थ तल, घट्टलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

भारत में जगती

याचिका सं. 33/टीएल/2022

दिनांक : 24.5.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, परिवालन और रखरखाव (बीओओएम) के आधार पर "नांगलबिबरा पर न्यू 220/132 केवी उपकेन्द्र (इसके बाद "परियोजना" के रूप में उल्लिखित) स्थापित करने के लिए नांगलबिबरा-बोंगेगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड, एफ-1, द मीरा कार्पोरेट स्यूट्स, 1 एवं 2, ईश्वर नगर, ओखला क्रॉसिंग, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065, द्वारा किया गया है:

क्रम सं.	घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	नांगलबिबरा में न्यू 220/132 केवी, 2x160 एमवीए उपकेन्द्र की स्थापना: i. 220/132 केवी, 160 एमवीए आईसीटी - 2 नं. ii. 220 केवी आईसीटी बेज - 2 नं. iii. 132 केवी आईसीटी बेज - 2 नं. iv. 220 केवी लाइन बेज: 2 नं. बोंगेगांव (पावरग्रिड) - [नांगलबिबरा 400 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए (220 केवी में आरंभिक रूप से प्रचालित) - इस योजना के अधीन] v. 132 केवी लाइन बेज: 2 नं. [एमईपीटीसीएल के नांगलबिबरा - मौजूदा नांगलबिबरा (एमईपीटीसीएल) 132 केवी डी/सी (सिंगल मूज) लाइन की समाप्ति के लिए] vi. 220 केवी बस रिएक्टर बेज - 2 नं. भावी विस्तार के लिए अतिरिक्त स्थान: - 220/132 केवी, 200 एमवीए आईसीटी-1 नं. (दोनों स्तर में संबद्ध बेज सहित) - 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी-3 नं. (दोनों स्तर में संबद्ध बेज सहित) 400 केवी उन्नयन के लिए स्थान: - स्विचबैक लाइन रिएक्टर के लिए स्थान सहित लाइन बेज: 8 नं. [बोंगेगांव (पावरग्रिड) - नांगलबिबरा 400 केवी डी/सी लाइन के 400 केवी प्रचालन के लिए 2 नं. (220 केवी में आरंभिक रूप से प्रचालित) और अन्य लाइन के लिए 6 नं.] - बस रिएक्टर 420 केवी, 125 एमवीएआर - 3 नं. - 400 केवी बस रिएक्टर बेज - 3 नं. भावी 220 केवी लाइन बेज के लिए स्थान: 6 नं. (एमईपीटीसीएल के मोनोगेप (मेघालय) - नांगलबिबरा 220 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए 2 नं. और भावी लाइन के लिए 4 नं.) भावी 132 केवी लाइन बेज के लिए स्थान: 6 नं. (भावी लाइन के लिए)	24 मास
2.	बोंगेगांव (पावरग्रिड) 400/220 केवी एस/एस में 220 केवी जीआईएस का विस्तार: बोंगेगांव (पावरग्रिड) - नांगलबिबरा 400 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए जीआईएस लाइन के 2 नं. (220 केवी में आरंभिक रूप से प्रचालित) 220 केवी लाइन बेज - 2 नं.	
3.	हटसिंगमरी (असम) एस/एस में विस्तार: हटसिंगमरी (असम) - अमपाती (मेघालय) 132 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए 132 केवी लाइन बेज का 2 नं. 132 केवी लाइन बेज - 2 नं.	
4.	अमपाती (मेघालय) एस/एस में विस्तार: हटसिंगमरी (असम) - अमपाती (मेघालय) 132 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए 132 केवी लाइन बेज का 2 नं. 132 केवी लाइन बेज - 2 नं.	
5.	बोंगेगांव (पावरग्रिड) - नांगलबिबरा 400 केवी डी/सी (टिविन एसीएसआर मूज) लाइन (220 केवी में आरंभिक रूप से प्रचालित)	
6.	हटसिंगमरी (असम) - अमपाती (मेघालय) 132 केवी (सिंगल एसीएसआर पेंथर) डी/सी लाइन	

नोट :

- बोंगेगांव (पावरग्रिड) - नांगलबिबरा 400 केवी डी/सी लाइन (220 केवी में आरंभिक रूप से प्रचालित) की समाप्ति के लिए बोंगेगांव (पावरग्रिड) एस/एस: 220 केवी लाइन बेज का 2 नं. में विस्तार के लिए पावरग्रिड को स्थान उपलब्ध करवाएगा।
 - हटसिंगमरी (असम) - अमपाती (मेघालय) 132 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए हटसिंगमरी (असम) 5/एस: 132 केवी लाइन बेज का 2 नं. में विस्तार के लिए एईजीसीएल/असम को स्थान उपलब्ध करवाएगा।
 - हटसिंगमरी (असम) - अमपाती (मेघालय) 132 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए अमपाती (मेघालय) एस/एस: 132 केवी लाइन बेज का 2 नं. में विस्तार के लिए एमईपीटीसीएल/मेघालय को स्थान उपलब्ध करवाएगा।
 - इस आईएसटीएस योजना के टाइम फ्रेम के अनुरूप अंतःराज्यिक योजना के अधीन एमईपीटीसीएल, मेघालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
 - दोनों अंत में 220 केवी लाइन बेज सहित मोनोगेप (मेघालय) - नांगलबिबरा (आईएसटीएस) 220 केवी डी/सी लाइन (नांगलबिबरा में 2 नं. 220 केवी लाइन बेज के निर्माण के लिए स्थान एमईपीटीसीएल को अनुज्ञापिधारी द्वारा उपलब्ध किया जाएगा)
 - नांगलबिबरा (आईएसटीएस) - मौजूदा नांगलबिबरा (एमईपीटीसीएल) 132 केवी डी/सी (सिंगल मूज) लाइन (नांगलबिबरा (एमईपीटीसीएल में 2 नं. 132 केवी लाइन बेज) एमईपीटीसीएल द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, तथापि नांगलबिबरा (आईएसटीएस) में 2 नं. 132 केवी लाइन बेज इस आईएसटीएस योजना के कार्यक्षेत्र के अधीन है")
- आवेदक का अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 558.59 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभावों के साथ पारेषण सेवा प्रदायक के रूप में चयन किया गया है।
 - सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान करने के लिए सिफारिश की है।
 - रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 33/टीएल/2022 में दिनांक 23.5.2022 के आदेश के माध्यम से उक्त पैरा 1 में नोट किए गए पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि जारी करने का प्रस्ताव किया है।
 - नांगलबिबरा-बोंगेगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतर राज्यिक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.pfcclindia.com में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
 - नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 9.6.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - आवेदन पर आयोग यथासमय आगे की सुनवाई करेगा। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव